निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-13 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तरखण्ड देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तरखण्ड देहरादून के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2020 से 07.08.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2019 से 05.09.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 07/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **श्रेणी**- 'A'

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2017-18	207.35
2018-19	204.07
2019-20	234.49

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	2012.06	1836.70	576.40	457.73	-	175.36	118.67
2018-19	2183.74	1743.81	700.75	700.75	-	440.21	00
2019-20	653.13	631.13	-	-	-	22.00	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2019-20	टाइगर	-	-	810.53	770.25	40.28
	हाथी	-	-	296.88	289.49	7.39

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तरखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तरखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 06/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)
शून्य

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 : विभाग द्वारा श्रमिक कल्याणार्थ उपकर की कटौती कर जमा नहीं किया जाना ₹ 3.03 लाख।

प्रस्तर-02 : संरक्षित वन भूमि के 21.755 है0 क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा अनियमित खनन।

प्रस्तर-03 :प्रकाष्ठ का निस्तारण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति न किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)

प्रस्तर -01 EPF/ESI अंशदान मद में ₹ 41.53 लाख के साथ-साथ नियोक्त कार्मिको से अधिक कार्मिको हेतु अनियमित वेतन आहरण ₹ 305.04 लाख।

गम्भीर अनियमितताएं
व्यय की लेखा-परीक्षा
भाग-II (ब)

प्रस्तर-04 : अनियमित कार्य प्रणाली।

प्रस्तर-05 : वन जमा में जमा धनराशि ₹ 145.02 लाख का पुनर्वैध नही किया जाना ।

प्रस्तर-06 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय रु- 17.09 लाख|

STAN

प्रस्तर-01: जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹ 4.00 लाख

प्रस्तर-02 विभागीय शिथिलता के कारण निष्प्रयोज्य वाहनों का मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही न किया जाना |

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 : विभाग द्वारा श्रमिक कल्याणार्थ उपकर की कटौती कर जमा नहीं किया जाना ₹ 3.03 लाख।

उत्तराखंड शासन, श्रम एवं सेवायोजन विभाग की अधिसूचना संख्या-474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 देहरादून, दिनांक 17 मई, 2012 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 एवं 5 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली, 1998 के नियम-2 के खंड (च) एवं (छ) तथा नियम 4,5 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिन कार्यो में दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों, निर्मित कराये जाने वाले समस्त भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों जिनमे दस लाख रुपये से अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवास भी सम्मिलित है, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के अधीन उपकर लिया जाएगा।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राजाजी टाइगर रिजर्व में किए गए/ करवाए गए निर्माण कार्यों की प्राक्कलन में कार्यमदों की गणना उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की दर सूची के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर कार्य संपादित किया गया था, किन्तु 1 प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती कर आयुक्त श्रम कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के पक्ष में जमा नहीं किया गया था। विभाग के द्वारा विगत 03 वर्षो में कुल रु. 3,02,68,408.00 (विवरण पत्र संलग्न) का निर्माण कार्य कराया गया था। जिस पर रु.302684.00 (3,02,68,408 x 1%) उपकर जमा किया जाना वांछित था। यथा समय उपकर की कटौती कर जमा नहीं किए जाने पर ब्याज और अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये उत्तर में बताया कि प्राक्कलन में ही इसका प्रावधान नहीं किया गया था। भविष्य में श्रमिक कल्याणार्थ 1 प्रतिशत उपकार कटौती कर जमा किया जाना सुनिश्चित की जाएगी।

अतः विभाग द्वारा नियमानुसार श्रमिक कल्याणार्थ 1 प्रतिशत उपकर की कटौती कर जमा नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर - 2 : संरक्षित वन भूमि के 21.755 है0 क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा अनियमित खनन।

Para 3.5.1 of Guidelines for taking non-forest activities in Wildlife Habitats circulated by Government of India, Ministry of Environment and Forests Wildlife Division New Delhi dated 19 December 2012 regarding Activities within 10 kms from boundaries of National Parks and wildlife Sanctuaries states that in case any project requiring Environmental Clearance, is located within the eco-sensitive zone around a Wildlife Sanctuary or National Park or in absence of delineation of such a zone within a distance of 10 kms from its boundaries, the user agency/Project Proponent is required to obtain recommendations of the Standing Committee of NBWL (National Board Foard For Wildelife).

कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व (रा0टा0रि0), देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया कि चिल्लावाली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने सूचित किया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रा0टा0रि0 जनपद हरिद्वार के दक्षिणी सीमा की ओर 2 कि0मी0 की दूरी से बाहर (बंजारेवाला ग्रांट में) उप खनिज लाट क्षेत्रफल 51.020 है0 से बालू बजरी बोल्डर चुगान करने के अनुमति की स्वीकृति मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 (निगम) को प्रदान की गयी थी (जून 2017)। दिनांक 29.01.2020 को खनन विभाग, चकबंदी विभाग, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 राजस्व विभाग द्वारा निर्देशों के विरुद्ध 2 कि0मी0 सीमा के भीतर सीमाकन कर, निगम द्वारा रेंज के अंतर्गत लालवाला बीट पिलर सं0 635 से 1 कि0मी0 सीमा के भीतर, 21.755 है0 क्षेत्र अनियमित खनन कार्य किया गया। वन क्षेत्राधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि उक्त स्वीकृत उप खनिज लाट में निगम द्वारा पूर्व में 2017-18 में भी रा0टा0रि0 की 2 कि0मी0 सीमा के भीतर खनन कार्य किया गया था। भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लघन कर इस अनियमित खनन की सूचना रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने निदेशक/वन संरक्षक रा0टा0रि0 देहरादून को प्रेषित की। निदेशक/वन संरक्षक रा0टा0रि0 देहरादून द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचित किए जाने पर प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून ने क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार को तथा प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार ने उक्त प्रकरण की सूचना

जिलाधिकारी हरिद्वार को देकर संबन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का आग्रह किया।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पाया गया कि रा0टा0रि0 के 21.755 है0 वन क्षेत्र में निगम द्वारा अनियमित खनन कार्य होने पर रा0टा0रि0 वन क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 30, 33 एवं 52 के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी जबकि 2017-18 में भी अनियमित खनन किया गया था परंतु सूचना जून 2020 में दी गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर ईकाई ने उत्तर दिया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था अनियमित खनन रा0टा0रि0 के वन क्षेत्र में किया गया था अत: रा0टा0रि0 के अधिकारियों द्वारा निगम एवं वन क्षेत्र में इस अवैध कार्यवाही करने वालों पर नियमानुसार सीधी एवं त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए थी, जबकि ईकाई ने मात्र प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार आदि को सूचित किया।

अत: संरक्षित वन भूमि के 21.755 है0 क्षेत्र में निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा आधिरोपित शर्तों का उल्लघन कर अनियमित खनन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 : जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाना ₹ 4.00 लाख

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहारादून, के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच मे पाया गया की निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी थी |

क्र. सं.	नम व पदनाम	निर्धारित राषि (₹ में)	जमा राषि (₹ में)	अवषेश राषि (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	श्री अचल कुमार गौतम, वन क्षेत्रा0	50000	—	50000
2.	श्री मदन सिंह रावत, वन क्षेत्रा0	50000	—	50000
3.	श्री विजय सैनी, वन क्षेत्रा0	50000	—	50000
4.	श्री अनिल कुमार पैन्यूली, वन क्षेत्रा0	50000	—	50000
5.	श्री अनुराग षर्मा, उप राजिक	30000	—	30000
6.	श्री अजीत कुमार, वन दरोगा	20000	—	20000
7.	श्री जे0पी0 अन्थवाल, वन दरोगा	20000	—	20000
8.	श्री सतेष्वर जखमोला, वन दरोगा	20000	—	20000
9.	श्री रवीन्द्र दत्त बहुगुणा, वन दरोगा	20000	—	20000
10.	श्री देवी प्रसाद सुयाल, वन दरोगा	20000	—	20000
11.	श्री नरेन्द्र सिंह, वन दरोगा	20000	—	20000
12.	श्री अनूपम सिंह रावत, वन आरक्षी	10000	—	10000
13.	श्री हरीष कुमार, वन आरक्षी	10000	—	10000
14.	श्री आषीश कुमार, वन आरक्षी	10000	—	10000
15.	श्री अमरीक सिंह, वन आरक्षी	10000	—	10000
16.	श्री हरि सिंह, वन आरक्षी	10000	—	10000
	योग			**4,00,000/—**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि यथाशीध्र जमा करवाकर सूचित कर दिया जाएगा | इस प्रकार जमानत जमा धनराशि नहीं जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-13 वर्ष 2020-21

STAN

प्रस्तर-02 विभागीय शिथिलता के कारण निष्प्रयोज्य वाहनों का मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही न किया जाना |

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रभाग द्वारा घोषित निष्प्रयोज्य वाहनो से संबन्धित सूची उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर वर्ष 2010 से वर्ष 2018 तक मे कुल 25 वाहनों एवं तीन साइकिल(विवरण संलग्न) को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था | जिनका मूल्यांकन परिवहन विभाग से कराकर नीलामी की कार्यवाही लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं की गयी थी। विभागीय शिथिलता के कारण वाहनो का मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे वाहनो का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा है यदि समय से मूल्यांकन एवं नीलामी की कार्यवाही की जाती तो अधिक राजस्व की प्राप्ति होती |

लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि “यथाशीघ्र निस्तारण की कार्यवाही कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जायेगा |

अत: विभागीय शिथिलता के कारण निष्प्रयोज्य वाहनों का मूल्यांकन कर नीलामी कि कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं |

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 3 : प्रकाष्ठ का निस्तारण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति न किया जाना।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान सी-1 एवं सी-17 (प्रकाष्ठ पंजिका) स्टॉक पंजिका की जांच में पाया कि वर्ष 2019-2020 तक राजाजी टाइगर रिजर्व के सीमांतर्गत अवैध रूप से कटे वृक्षों की लकड़ी, जो पकड़े/जब्त किए जाते है, को सी-17 स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि की जाती है। जिस प्रकरण में कोई विवाद नहीं रहता है उनको सी-1 में प्रविष्टि की जाती है। इन प्रकरणों में यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति के बाद निस्तारण किया जाना चाहिए था। जिससे कि काटे जा चुके वृक्षों से राजस्व प्राप्त हो सके। सी-1 के अनुसार वर्ष 2019-20 मार्च तक विभिन्न प्रजाति की कुल 454.5810 घन मीटर लकड़ी स्टॉक में दिखायी गयी है। जिसका मूल्यांकन कर निस्तारण नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में होने पर भी समय से निस्तारण नही किए जाने के कारण लगभग 69.255 घन मी लकड़ियाँ सड़ागल गई है। जो कि विभाग की राजकीय प्राप्तियों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

उक्त के अतिरिक्त सी-17 पंजिका के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक जब्त किये गये 136.5924 घन मीटर प्रकाष्ठ का भी निस्तारण नहीं किया गया है। प्रकरणों का निस्तारण समय से हो सके इस हेतु मुख्यालय में समीक्षा कर दिशा निर्देश जारी किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “यथाशीघ्र कार्यवाही कर निस्तारण किया जाएगा”। अतः प्रकाष्ठ का निस्तारण नही किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्त नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञा न में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-13 वर्ष 2020-21

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 (अ)

प्रस्तर- 01 EPF/ESI अंशदान मद में ₹ 41.53 लाख के साथ-साथ नियोक्त कार्मिको से अधिक कार्मिको हेतु अनियमित वेतन आहरण ₹ 305.04 लाख।

Section 6 of The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 provides guidelines regarding **Contribution and matters which may be provided for in Scheme** and explains that "the contribution which shall be paid by the employer to the fund shall be ten per cent. Of the basic wages, dearness allowances and retaining allowance (if any) for the time being payable to each of the employees (whether employed by him directly or by or through a contractor) and the employees' contribution shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of him and may, if any employee so desires, be an amount exceeding ten per cent.of his basic wages, dearness allowance and retaining allowance (if any), subject to the condition that the employer shall not be under an obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under this section:

Provided that in its application to any establishment or class of establishments which the Central Government, after making such inquiry as it deems fit, may, by notification in the Official Gazette, specify this section shall be subject to the modification that for the words ten per cent, at both the places where they occur, the words twelve per cent. Shall be substituted:

कार्यालय निदेशक/ वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व (रा0टा0रि0), देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय ने मानव संसाधन उपलब्ध करने के लिए ईच्छा अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया एवं न्यूनतम निविदादाता से सेवा प्रदाता के रूप में अनुबंध किया। ठेकेदार से अनुबंध 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि के लिए किया गया था परंतु अनुबंध को लगातार विस्तार दिया जाता रहा। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा तिथि तक (अगस्त 2020) अनुबंध गतिमान था। इस समयावधि में 01.10.2017 से प्रभावी दरों पर 01.10.2018 को संशोधन किया गया, फिर 01.06.2019 को दरों में कुछ वृद्धि दर्शा कर दरों को 01.04.2019 से संशोधित किया गया और अन्ततः 01.10.2019 में पुनः संशोधन किया गया जो दरें वर्तमान तक भी जारी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 01.10.2017 से प्रभावी दरों में एवं 01.10.2018 से लागू संशोधित दरों में 25.16% की दर से EPF व 6.50% की दर से बीमा राशि का तथा 01.04.2019 से संशोधित की गयी दरों एवं 01.10.2019 से लागू की गयी दरों में 13% की दर से EPF राशि का

प्रावधान किया गया था। विभाग से EPF मद में प्राप्त राशि की गणना के अनुसार ठेकेदार ने दावे प्रस्तुत किए परंतु EPF में कम वेतन दर्शा कर अनियमित लाभ प्राप्त किया गया और बीमा के लिए 01.04.2019 से प्रभावी दरों में 4.00% के बराबर राशि प्राप्त की तथा 01.10.2019 से 3.25% की दर से राशि प्राप्त की गयी थी, राशि वास्तव में बीमा मद में जमा की अथवा नहीं दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कर्मकारों को वेतन एवं अन्य देय भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कभी कोई दस्तावेज़ की जाँच किए बिना ही सेवा प्रदाता फ़र्म (ठेकेदार) को भुगतान किया जाता रहा, जबकि अनुबंध में शर्त थी कि श्रमिक प्रदाता फ़र्म का दायित्व होगा कि बीजक प्रस्तुत करने से पूर्व श्रमिक हित में EPF जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण प्राप्त होने पर ही बीजक भुगतान हेतु सत्यापित कर प्रेषित किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार के कर, EPF, सेवा कर, ESI/ बीमा का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नहीं यह भी जाँचा नहीं जा रहा था।

इस प्रकार, ठेकेदार ने Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 के Article 6 के प्रावधानों के विपरीत कार्य करते हुए EPF मद में ₹ 33,78,540/ (तालिका-1) एवं बीमा मद में ₹ 77,48,40/ (तालिका-02) विभाग से वसूल कर कुल ₹ 41,53,380/= अनुचित अनियमित लाभ लिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि संबन्धित ठेकेदार से सभी वांछित विवरण प्राप्त कर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था कार्यालय नियोक्ता की EPF/ESI की देयता व उस पर देय प्रशासनिक प्रभार से अधिक भुगतान क्यों कर रहा था स्पष्ट नहीं किया गया। पुन: यह कि श्रमिकों को देय राशि के लाभ, श्रमिकों को प्राप्त हो रहे हैं या ठेकेदार द्वारा उनका दुर्विनियोग किया जा रहा है कार्यालय द्वारा जांच नहीं की गयी थी।

अत: रु0 39,17,760/= अनुचित अनियमित लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(ब) लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभाग से EPF/ESI मद में अधिक धन राशि का दावा प्रस्तुत कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी थी। साथ ही सेवा प्रदाता फ़र्म द्वारा वास्तविक रूप से कितने कर्मकारों का नियोजन किया गया एवं कितने के लिए विभाग से अनियमित भुगतान प्राप्त करता रहा, अभिलेखों के अभाव में सही सही आकलन नहीं किया जा सकता। कार्यालय में देयकों के सत्यापन, नामावली में नियमित attendance दर्ज करने, कार्मिको को किस कार्य पर नियोजित किया गया व किए गए कार्य माप योग्य हैं तो उनको माप पुस्तिका में दर्ज करने अथवा माप योग्य

कार्य नहीं था, का प्रमाण पत्र अंकित किए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं थी जबकि अनुबंध में यह सभी शर्तें सम्मलित थी पर उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए देयकों में मात्र एक देयक संख्या 10 दिनाक 09.05.2019 में वन क्षेत्राधिकारी, मोती चूर ने माह 01/2019, 03/2019 और 04/2019 के 21 कार्मिको के नियोजन प्रमाणपत्र दिया गया है जबकि देयक द्वारा 06 कार्मिको के लिए फरवरी का भी वेतन आहरित किया गया था। इस देयक में उल्लेखित श्रमिकों के नाम का उल्लेख फरवरी, मार्च, अप्रैल 2019 के ECR (Electronic Challan cum Return) प्रपत्र में नहीं पाया।

इसी प्रकार एक अन्य देयक द्वारा माह 10/2019 और 11/2019 के क्रमश: 256 और 257 कार्मिकों के वेतन के लिए किया गया था जबकि माह 10/2019 एवं 11/2019 के ECR प्रपत्र में मात्र 192 कर्मी थे, जिसमें से 29 कर्मी के लिए EPF में अंशदान नहीं किया गया था। मात्र 163 कर्मी के EPF अंशदान भुगतान किया गया था जिससे सपष्ट था कि 10/2019 एवं 11/2019 में मात्र 163 कर्मी ही नियुक्त किए गए थे परंतु कार्यालय से अक्टूबर/नवम्बर 2019 में 256/257 कर्मकारों हेतु अनियमित भुगतान प्राप्त कर रहा था। शेष 93/94 कुल 187 कर्मकारों हेतु न्यूनतम डेलीलेबर के समान वेतन ₹ 10,468/= की दर से भी भुगतान माना जाय तो शासन से ₹ 10468 x 187 = ₹ 19,57,516= का अनियमित आहरण किया गया था। 01/2019 से 12/2019 तक उपलब्ध कराये गए ECR प्रपत्रों में 154 से 192 कार्मिको का ही उल्लेख था। जबकि विभाग ने बताया कि प्रति माह लगभग 220 कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जा रहा था। अनुबंध के प्रारम्भ 01/2018 से 12/2018 अवधि के देयक व ECR प्रपत्र बार-बार मागे जाने पर भी लेखा परीक्षा को नहीं उपलब्ध कराये गए। जनवरी 2018 से जून 2018 अवधि की Challan Summary के TRRN की जांच में पाया गया कि इस अवधि के लिए प्रति माह नियुक्त किए जाने वाले 220 कर्मचारियों से बहुत ही कम 74 से 181 कर्मचरियों (तालिका - 3) के लिए EPF अंशदान किया गया था।

10/2019 और 11/2019 माह के देयक को आधार मान कर यदि 94 कर्मियों का वेतन अधिक आहरण प्रति माह किया जा रहा था तो 31 माह की अवधि (01.01.2018 से 31.07.20) न्यूनतम अक्तूबर माह के डेलीलेबर के वेतन रु0 10468/- पर भी रु0 3,05,03,752 लाख का अनियमित अधिक आहरण किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ईकाई ने उत्तर दिया कि भविष्य में ठेकेदार से माहवार आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त कर समीक्षा कर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था मानव संसाधन के लिए अनुबंध की नियत समयावधि 31.12.2018 को समाप्त हो चुकी थी, तदोपरांत 01 वर्ष 7 माह से अधिक समयवृद्धि के बाद contractor फ़र्म से भुगतान से पूर्व अभिलेखों की मांग न किया जाना व विना पूर्व परीक्षण के भुगतान किये जाने के कारण विभाग अनियमित भुगतानों में रोक लगाने में विफल रहा।

इस प्रकार, EPF/ESI अंशदान मद में ₹ 41.53 लाख के अनियमित अधिक आहरण के साथ-साथ नियोक्त कार्मिको हेतु ₹ 305.04 लाख का अनियमित वेतन आहरण किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या AMG-IV/FR-13 वर्ष 2020-21

तालिका - 1 - विभाग से EPF मद में ठेकेदार द्वारा वसूली गयी राशि तथा EPF मद में कम धनराशि जमा कर लिए गया अनुचित अनियमित लाभ

अवधि	कर्मकार का पद	वेतन EPF अंशदान निर्धारण के लिए	विभाग से लिया गया EPF	EPF लेखे में विभाग की ओर से ठेकेदार द्वारा जमा राशि	अंतर (ठेकेदार द्वारा विभाग से अधिक वसूली गयी राशि) (4-5)	न्यूनतम पर 220 कर्मकारों के लिए अधिक प्राप्त किया गया भुगतान (वर्ग घ से अधिक वसूली राशि X माह X 220)
1	2	3	4	5	6	7
01/2018 से 09/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8323	2094	999	1095	--
	ड्राईवर	8118	2042	974	1068	--
	वर्ग घ	7158	1800	859	941	18,63,180
10/2018 से 12/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	2144	1022	1122	
	ड्राईवर	8318	2093	998	1095	
	वर्ग घ	7358	1851	882	969	6,39,540
01/2019 से 03/2019	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	2144	1021	1123	
	ड्राईवर	8318	2093	998	1095	
	वर्ग घ	7358	1851	882	969	6,39,540
04/2019 से 09/2019	कम्प्युटर ऑपरेटर	12055	1270	1173	97	
	ड्राईवर	11801	1237	1142	95	
	वर्ग घ	10496	1068	986	82	108,240
10/2019 से 03/2020	कम्प्युटर ऑपरेटर	10555	1270	1173	97	
	ड्राईवर	10301	1237	1142	95	
	वर्ग घ	9114	1083	986	97	12,8,040
04/2020 से 07/.2020	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।					
न्यूनतम वर्ग घ पर गणना करने पर 220 कर्मकारों के लिए अधिक प्राप्त कुल राशि						33,78,540

अवधि 01/2018 से 12/2018 तक अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण EPF लेखे में विभाग की ओर से ठेकेदार द्वारा जमा राशि को 12% की दर से आंगणित किया गया है।

तालिका - 2 - विभाग से बीमा मद में ठेकेदार द्वारा वसूली गयी अधिक राशि पर अनुचित अनियमित लाभ

अवधि	**कर्मकार का पद**	**वेतन बीमा अंशदान निर्धारण के हेतु**	**विभाग से प्राप्त बीमा मद राशि (6.50%)**	**विभाग की देयता बीमा मद राशि (3.25%)**	**अंतर (ठेकेदार द्वारा विभाग से अधिक वसूली गयी राशि) (4-5)**	**न्यूनतम प्राप्त वर्ग घ कर्मकारों के समान प्राप्त राशि के अनुसार गणना (वर्ग घ से अधिक वसूली राशि X माह X 220)**
1	2	3	4	5	6	7
01/2018 से 09/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8323	540	271	269	
	ड्राईवर	8118	527	264	263	
	वर्ग घ	1758	465	233	232	4,59,360
10/2018 से 12/2018	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	554	277	277	
	ड्राईवर	8318	541	270	271	
	वर्ग घ	7358	478	239	239	1,57,740
01/2019 से 03/2019	कम्प्युटर ऑपरेटर	8523	554	277	277	
	ड्राईवर	8318	541	270	271	
	वर्ग घ	7358	478	239	239	1,57,740
04/2019 से 09/2019	कम्प्युटर ऑपरेटर	12055	390	इस अवधि में ठेकेदार ने 3.25% राशि के लगभग ही विभाग से वसूली है।		
	ड्राईवर	11801	380			
	वर्ग घ	10496	329			
10/2019 से 03/2020	कम्प्युटर ऑपरेटर	10555	318	इस अवधि में ठेकेदार ने 3.25% राशि से भी कम राशि वसूली है।		
	ड्राईवर	10301	309			
	वर्ग घ	9114	271			
04/2020 से 07/2020	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।					
न्यूनतम वर्ग घ पर गणना करने पर 220 कर्मकारों के लिए अधिक प्राप्त कुल राशि						7,74,840

तालिका - 3 - माह 01/2018 से 06/2018 की अवधि में Challan Summary के अनुसार कर्मकारों जिनके लिए EPF अंशदान जमा किया गया का ब्योरा :

Wage month	TRRN No	Challan Generated in	No of members	
1/2018	4601807005909	July	55	129
	4601808000848	August	39	
	4601810000022	Nov	19	
	4601090205726		01	
	4601808000875		15	
02/2018	4601807006846	JULY	55	74
	4601810000024	OCT	19	
03/2018	4601809000205	Sept	47	132
	4601808000852	Aug	39	
	4601807006848	July	55	
04/2018	4601808002936	Aug	41	154
	4601810000098	Oct	19	
	4601807006849	July	55	
	4601808000853	Aug	39	
05/2018	4601809005956	Sept	140	181
	4601808002938	Aug	41	
06/2018	4601809005957	Nov	140	158

भाग- II (ब)

प्रस्तर - 04 : अनियमित कार्य प्रणाली।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखंड के कार्यालय आदेश पत्र संख्या क-578/1-14(4) देहारादून दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा पूर्व निर्गत आदेश को निरस्त किया गया था तथा दि0 01.04.2019 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए कार्मिको को भुगतान किए गए रु0 1700/- प्रति माह की कटौती आगामी देयकों से किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि देयक 243 दिनाक 05.12.2019 द्वारा दो माहो का माह अक्टूबर 2019 के लिए 256 सविदा कर्मियों का वेतन व माह नवम्बर 2019 के लिए 257 सविदा कर्मियों का वेतन आहरित किया गया था। परंतु देयक से दो माह के स्थान पर मात्र एक माह की ही वसूली की गयी थी इस प्रकार 257 X 1700 = 436900/- कम वसूले गए थे।

कार्यालय में तैनात 220 कर्मचारियों के लिए रु0 1700/- प्रति माह की दर से शेष 5 माह की वसूली के व्योरे उपलब्ध न कराये जाने से रु0 18,70,000/- का ठेके दार को अनुचित लाभ होने पर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि उक्त कटौती किस-किस माह में की गयी है, के अभिलेख ठेकेदार से प्राप्त कर संप्रेक्षा दल को प्रस्तुत कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था कार्यालय उक्त अवधि के भुगतान कर चुका था विभाग को ठेकेदार से वसूली करनी थी जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा को उपलब्ध न होना विभाग की अनियमित कार्य प्रणाली का परिचायक है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 05 : वन जमा में जमा धनराशि ₹ 145.02 लाख का पुनर्वैध नही किया जाना ।

कार्यालय निदेशक राजाजी टाइगर रिसर्व, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रपत्र-23 वन निक्षेप आय/व्यय का प्रपत्र, माह 03/2020 के अनुसार निम्नलिखित निक्षेप में धनराशि ₹ 1,42,16,265 मार्च, 2020 तक बिना व्यय के वन निक्षेप में रखी गयी है-

क्र0 सं0	कार्यकानाम	धनराशि
01	800 के0बी0 ट्रांसमिशन लाइन के नीचे घास रोपण हेतु प्राप्त	1898872.00
02	400 के0बी0 ट्रांसमिशन लाइन ऋषिकेश भूमि हस्तांतरण से प्राप्त	89575.00
03	खांडगांव पुनर्वास योजना	561488.00
04	गैल इण्डिया से गैस पाइप लाइन हेतु भूमि हस्तांतरण से प्राप्त	1000000.00
05	भारत आयल इनवेस्टमेंट से प्रदत्त फ़ंड	1000000.00
06	हिल बाइपास पर 1 km दीवार निर्माण हेतु प्राप्त	2382000.00
07	मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम हेतु उपकरणों हेतु प्राप्त	1300000.00
08	प्रोजेक्ट एलीफेंट	933.00
09	प्रोजेक्ट एलीफेंट	10137.00
10	प्रोजेक्ट टाइगर	290574.00
11	प्रोजेक्ट टाइगर	1882901.00
12	प्रोजेक्ट एलीफेंट	342700.00
13	प्रोजेक्ट टाइगर	1756431.00
14	प्रोजेक्ट एलीफेंट	572429.00
15	प्रोजेक्ट एलीफेंट	10000.00
16	प्रोजेक्ट टाइगर	220000.00
17	उत्तराखण्ड बाँस एवं रेशा विकास परिषद से सोवनियर शांप का निर्माण	898225.00
18	वन बिकास निगम से बिश्राम भवन की मरम्मत हेतु प्राप्त	285770.00
योग–		1,45,02,035

उक्त के संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखंड देहरादून कार्यालय पत्रांक 648/3-2 देहरादून, दिनांक 25/09/2017 को डी.सी.एल. में जमा धनराशि को पुनर्वैध कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित तिथि 03/11/2017 तक भेजा जाना था,के बाद भी जमा धनराशियों को पुनर्वैध करवाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था। डी.सी.एल. में अप्रयुक्त धनराशि किस-किस मद की और कब से जमा है, का कोई विवरण नहीं था। इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये उत्तर में बताया कि “विवरण तैयार कर संप्रेक्षा दल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाएगी”।

अतः वन जमा में धनराशि ₹ 145.02 लाख पुनर्वैध नही किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो- 'ब'

प्रस्तर- 06 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय रु- 17.09 लाख|

विभाग मे प्रचलित पद्धति के अनुसार किसी भी लैंटाना प्रभावित क्षेत्र से लैंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योकि प्रथम वर्ष लैंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि मे उपलब्ध लैंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के सम्पर्क में रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं | जिनके उन्मूलन के पश्चात लैंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है इसी कारण से विभाग द्वारा लैंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता हैं|

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखण्ड देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान प्रभाग में लैंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 93.634 हेक्टेयर का चयन किया गया तथा ₹ 15.61 लाख का व्यय किया गया। द्वितीय वर्ष उपचार हैतु 46.7 है का चयन किया गया तथा ₹ 1.47 लाख का व्यय किया गया। इन क्षेत्रों में द्वितीय/तृतीय वर्ष 2019-20 में उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया | जिससे स्पष्ट है कि प्रथम/द्वितीय वर्ष उपचार पर किये गये व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लैंटाना पुन: उगकर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा | अतः प्रभाग द्वारा लैंटाना उन्मूलन के कार्य को द्वितीय/तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरुप रू 17.08 लाख का व्यय निष्फल रहा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि जाँचोंपरान्त आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
179/2015-16	-	-	01
41/2017-18	01	02	-
64/2018-19	01,02,03	-	-
66/2019-20	-	01,03	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
11/2011-12	01,02	01	-
41/2017-18	01,02	01,02,03	-
66/2019-20	-	02,04,05,06,07,08	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तरखण्ड देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

i. रोकड बही

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री पी.के.पात्रो	निदेशक/वन संरक्षक रा.टा.रि. (14.03.19 से 14.04.20) तक
2	श्री अमित वर्मा	निदेशक (14.04.20 से 10.07.20) तक
3	श्री डी.के.सिंह	निदेशक (11.07.20 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तरखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV